

मेरा आग्रह है कि इस संबंध में राज्य सरकार समाज अध्ययन संस्थान, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से परामर्श कर इन जातियों के महासंघों की मांग की आपूर्ति हेतु सदन से विधेयक स्वीकृत कराया जाय।

मध्याह्न 12.00 बजे

इस समय डॉ. रामचन्द्र डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.0 ¼ बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं आपको बुलाऊंगा और आप मामले उठा सकते हैं। कृपया वापस जाइये और मामलों को उठाइये। मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(डॉ. एम तम्बिदुरई पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त मैं सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)...

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.30 बजे

इस समय श्री पी के बिजू, श्री तपस पॉल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं आपको बुलाऊंगा और आप मामले उठा सकते हैं। कृपया वापस जाइए और मामलों को उठाइए। मैं आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुई)

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)...

श्री अनंत कुमार (बंगलौर-दक्षिण) : हम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रधानमंत्री जी कहां हैं? ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना है।

अपराह्न 2.02 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

कोयला ब्लॉकों के आबंटन से संबंधित फाइलों का कथित रूप से गायब होना

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोयला ब्लॉकों के आबंटन की चल रही जांच से संबंधित फाइलों अथवा दस्तावेजों के तथाकथित रूप से गायब होने के संबंध में मैं यह जोर देकर कहना चाहता

हूँ कि सरकार सीबीआई द्वारा मांगे गए दस्तावेजों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है...(व्यवधान)...

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : यह उचित नहीं है। यह आपकी मांग है कि उन्हें वक्तव्य देना चाहिए ... (व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : ये क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप वक्तव्य चाहते हैं।

...(व्यवधान)...

डॉ. मनमोहन सिंह : और, इस समय यह कहना जल्दबाजी होगी कि कुछ फाइलें वास्तव में गायब हो गई हैं। सीबीआई द्वारा मांगे गए दस्तावेजों में आधे कोश दस्तावेज उसे सौंप दिए गए हैं। तथापि, तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखे बिना कुछ सदस्य आगे आकर अपना निष्कर्ष दे रहे हैं कि कुछ संदेहास्पद है तथा सरकार कुछ छिपा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह तथ्य कि 150,000 पृष्ठ से अधिक दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जा चुके हैं, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जांच की प्रक्रिया को सुकर बानने को हमारी मंशा पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है। जिस समय सीएजी द्वारा निष्पादन-लेखापरीक्षा शुरू की गई थी, उसी समय से सरकार ने सीएजी से और उसके बाद सीबीआई से पूरा सहयोग किया है। हम ऐसा करते रहेंगे। यदि प्रश्नगत रिकॉर्ड वास्तव में गायब पाए जाते हैं तो सरकार इसकी जांच कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को दंड मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदया, कोयला ब्लॉकों के आबंटन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है; देश का सर्वोच्च न्यायालय इन आबंटनों के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सीबीआई द्वारा की जा रही जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29 अगस्त 2013 को अपने आदेश में यह निदेश दिया है पांच दिनों के अंदर सीबीआई उन दस्तावेजों तथा रिकार्डों की व्यापक सूची प्रदान करेगी जो अभी उसे नहीं मिले हैं और तत्पश्चात सरकार दो सप्ताह के अंदर उपलब्ध दस्तावेज सीबीआई को सौंप देगी। सरकार इन निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करेगी तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अपेक्षित दस्तावेजों को खोजकर उन्हें सीबीआई को

सौंप देगी। यदि सरकार निर्दिष्ट समय के अंदर इन दस्तावेजों का पता नहीं लगा पाती है, तो उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुरूप उपयुक्त छान-बीन और जांच के लिए सीबीआई के पास रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

ऐसी स्थिति में, मैं इस सम्माननीय संस्था के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालें तथा सभा की सामान्य कार्यवाही चलने दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 7, माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया : आपको ज्ञात है कि एक वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। वक्तव्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। हमारे पास स्पष्टीकरण हेतु कोई नियम नहीं है। यह क्या है?

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए।

[अनुवाद]

वक्तव्य के तुरंत बाद स्पष्टीकरण मांगने के लिए कोई नियम नहीं है।

...(व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)***

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम एफट्स कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई है...(व्यवधान)...यदि एफआईआर दर्ज नहीं कराई है तो सरकार ढूंढने के कौन से प्रयास कर रही है।...(व्यवधान)...खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करायें...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री बंसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराई गई?

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।